

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0-6/एन0-08-293/2018-.....

/पटना-15, दिनांक-.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-1404(6), दिनांक-06.12.2018 द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4(ii) के आलोक में ओरहुल यमुना काउण्डेशन, विष्णुपुर नर्सिंग होम परिसर, विष्णुपुर, पो0-मिर्जापुर बन्दार, बेगुसराय-851101 द्वारा प्रस्तावित यमुना इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, रजौरा, बेगुसराय के नाम से जी0एन0एम0 संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 - एल0पी0ए0 संख्या-88/2018 में दिनांक-19.12.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक-1512(6), दिनांक-27.12.2018 द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में डॉ0 उदय कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त यमुना इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, रजौरा, बेगुसराय को नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4 (iii) के आलोक में जी0एन0एम0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 45 (पैतालीस) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, बेगुसराय समय-समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद की अर्हताओं की अद्यतनता होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) संस्थान बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी। सत्र का निर्धारण बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा किया जायेगा तथा सत्र निर्धारण के उपरान्त ही संस्थान छात्र/छात्राओं का नामांकन प्रारंभ करेंगे।
- (च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर (ii) सिविल सर्जन, बेगुसराय तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगुसराय को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 - आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(डॉ0 आर0डी0 रंजन)


निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6/एन0-08-293/2018. 331(6)

पटना दिनांक 06/03/19

- प्रतिलिपि:- सचिव, ओरहुल यमुना फाउण्डेशन, विष्णुपुर नर्सिंग होम परिसर, विष्णुपुर, पो0-मिर्जापुर
वन्दार, बेगुसराय-851101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन
परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/सिविल
सर्जन, बेगुसराय/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष
सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड
करने हेतु प्रेषित।


5/3/19
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।